



**Drishti IAS**



# करेंट अफेयर्स

# झारखंड

## अगस्त

## 2024

## (संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: [help@groupdrishti.in](mailto:help@groupdrishti.in)

# अनुक्रम

<b>झारखंड</b>	<b>3</b>
➤ झारखंड में चेतावनी जारी	3
➤ NDRF ने झारखंड में बाढ़ से ग्रामीणों को बचाया	3
➤ झारखंड में किसानों के लिये ऋण माफी की सीमा बढ़ाई गई	4
➤ झारखंड हाईकोर्ट ने बांग्लादेश से अवैध अप्रवासन को लेकर चेतावनी दी	5
➤ झारखंड आदिवासी महोत्सव	5
➤ आदिवासी संपत्तियों पर सुरक्षा शिविर	6
➤ रोगियों के प्रति भेदभाव समाप्त करने का अभियान	7
➤ झारखंड में 'ढाका' लिखा हुआ घायल गिद्ध मिला	8
➤ झारखंड के कार्मिकों को वीरता और सेवा पदक मिलेंगे	8
➤ झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY)	9
➤ झारखंड की पंचायतें टीबी मुक्त घोषित	10
➤ झारखंड मंत्रिमंडल ने बिजली बकाया बिल माफ किया	11

## झारखंड

### झारखंड में चेतावनी जारी

#### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम ज़िले में अत्यधिक वर्षा के बाद नदियों के उफान पर होने के कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिये चेतावनी जारी किया गया।

- राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण खरकई और सुवर्णरेखा नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है।

#### मुख्य बिंदु:

- पड़ोसी सरायकेला-खरसावाँ ज़िले में स्थित चांडिल बाँध से लगभग 3,500 क्यूसेक जल सुवर्णरेखा नदी में छोड़ा गया।
- प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को नदियों के पास जाने से बचने तथा प्राधिकारियों द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
- ◆ लगातार हो रही वर्षा के कारण विभिन्न सड़क मार्ग बह गए, वृक्ष उखड़ गए, मकान क्षतिग्रस्त हो गए और एक पुल ढह गया।

#### सुवर्णरेखा नदी

- सुवर्णरेखा ( स्वर्ण रेखा ) नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों से होकर प्रवाहित होती है।
- प्रमुख सहायक नदियाँ: काँची नदी और खरकई नदी

#### खरकई नदी

- यह सुवर्णरेखा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है।
- यह जमशेदपुर के आदित्यपुर क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है।
- इसका उद्गम ओडिशा के मयूरभंज ज़िले में होता है।

### NDRF ने झारखंड में बाढ़ से ग्रामीणों को बचाया

#### चर्चा में क्यों ?

- राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ( NDRF ) ने झारखंड के गढ़वा ज़िले में बाढ़ के पानी में फँसे 26 ग्रामीणों को बचाया।
- ◆ पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ आ गई है

#### मुख्य बिंदु

- हरिहरपुर पुलिस चौकी के पास सोन नदी के बाढ़ के पानी में ग्रामीण फँस गए थे।
- ◆ सोन नदी, जो एक बारहमासी नदी है जो मध्य भारत से होकर बहती है।
- ◆ यह यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी ( दाहिनी तट ) सहायक नदी है।
- ◆ यह नदी छत्तीसगढ़ के गौरैला-पेंड्रा-मरवाही ज़िले में अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलती है और अंततः बिहार में पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है।

## राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ( NDRF )

### परिचय

- ◆ NDRF भारत में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के लिये विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से गठित एक विशेष बल है।
- ◆ गठन और उद्देश्य: NDRF का गठन वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाओं पर त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया देना है।
- ◆ संरचना: NDRF में सीमा सुरक्षा बल ( BSF ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ( CAPF ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ( CRPF ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस ( ITBP ) और सशस्त्र सीमा बल ( SSB ) सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ( CAPF ) की बटालियनें शामिल हैं।
  - प्रत्येक बटालियन को आपदा प्रतिक्रिया के लिये विशेष प्रशिक्षण एवं उपकरण उपलब्ध हैं।

## झारखंड में किसानों के लिये ऋण माफी की सीमा बढ़ाई गई

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में झारखंड मंत्रिमंडल ने कृषि ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत ऋण की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है।

### मुख्य बिंदु

- झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक 4.73 लाख किसानों का 1,900.35 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया।
- एक अन्य पहल के तहत राज्य सरकार ने पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दिये जाने वाले मानदेय को दोगुना करने का निर्णय लिया है।
- ◆ मानकी और परगनैत को 6,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा, मुंडा तथा ग्राम प्रधान को 4,000 रुपए एवं अन्य पारंपरिक ग्राम प्रधानों को 2,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा।

### झारखंड कृषि ऋण माफी योजना

- इसे झारखंड राज्य सरकार द्वारा 1 फरवरी, 2021 को लॉन्च किया गया था।
- योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को अल्पकालिक कृषि ऋण के बोझ से मुक्त करना, फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार करना, नई फसल के लिये ऋण सुनिश्चित करना, कृषक समुदाय के पलायन को रोकना और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
- ऋण माफी योजना के लाभार्थी के लिये आवश्यक अधिकार निम्नलिखित हैं:
- रैयत किसान जो अपनी ज़मीन पर खुद खेती करते हैं।
- गैर-रैयत किसान जो दूसरे रैयतों की ज़मीन पर कृषि कार्य करते हैं।
- आवेदक अल्पकालीन फसल ऋण धारक होना चाहिये तथा फसल ऋण झारखंड में स्थित योग्य बैंक से जारी होना चाहिये।
- झारखंड राज्य का किसान, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा किसान के पास वैध आधार संख्या, किसान क्रेडिट कार्ड धारक एवं वैध राशन कार्ड धारक होना चाहिये।
- एक ही परिवार से एक ही फसल ऋण रखने वाले सदस्य पात्र होंगे। आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिये।

## झारखंड हाईकोर्ट ने बांग्लादेश से अवैध अप्रवासन को लेकर चेतावनी दी

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को संधाल परगना के रास्ते द्वारा राज्य में प्रवेश करने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

### मुख्य बिंदु

- न्यायालय ने कहा कि बांग्लादेश में वर्तमान अस्थिर स्थिति के कारण अवैध अप्रवासन बढ़ने की संभावना है।
- पीठ ने आसूचना ब्यूरो के निदेशक, सीमा सुरक्षा बल ( BSF ) के महानिदेशक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के महानिदेशक को मामले में पक्ष बनाने का आदेश दिया।
- ◆ न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए उन्हें मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
- ◆ इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने सिफारिश की कि सरकार आधार कार्ड और मतदाता पहचान-पत्रों का औचक निरीक्षण करे।

### बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति

- विरोध प्रदर्शन और अशांति: बांग्लादेश में नौकरी कोटा के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन जारी है, जो सत्तावादी नीतियों और विपक्ष के दमन से प्रेरित है, जिसके कारण काफी अशांति उत्पन्न हो गई है, जो वर्ष 2008 में शेख हसीना के कार्यकाल के बाद से सबसे अधिक है।
- आर्थिक चुनौतियाँ: शेख हसीना के जाने से कोविड-19 महामारी से देश की आर्थिक सुधार को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं, जो पहले से ही बढ़ती मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन से प्रभावित है।
- राजनीतिक परिदृश्य: बांग्लादेश की सेना अंतरिम सरकार बनाने के लिये तैयार है, जो स्थिति की अस्थिरता को दर्शाता है।
- ◆ कट्टरपंथी इस्लामी शक्तियों की संभावित वापसी बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष शासन के लिये खतरा बन सकती है।
- ■ निर्यात प्रवाह में व्यवधान: बांग्लादेश का कपड़ा क्षेत्र, जो इसके निर्यात राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बड़े व्यवधानों का सामना कर रहा है। चल रही अशांति के कारण आपूर्ति श्रृंखलाएँ टूट गई हैं, जिससे माल की आवाजाही और उत्पादन कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं।
- ◆ बांग्लादेश वैश्विक वस्त्र उद्योग में प्रमुख है, जो कपड़ों के वैश्विक व्यापार का 7.9% हिस्सा है। देश का 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर का परिधान क्षेत्र, जिसमें चार मिलियन से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, इसके व्यापारिक निर्यात का 85% से अधिक प्रतिनिधित्व करता है।
- यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और अमेरिका में देश की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है तथा अमेरिकी बाजार में इसकी हिस्सेदारी 10% है।
- ◆ बांग्लादेश में अनिश्चितता के कारण अंतर्राष्ट्रीय खरीदार अपने आपूर्ति स्रोतों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप भारत सहित वैकल्पिक बाजारों में ऑर्डर का स्थानांतरण हो सकता है।
- ◆ यदि भारत बांग्लादेश से विस्थापित ऑर्डरों का एक हिस्सा प्राप्त कर लेता है तो उसे काफी लाभ होगा।
- ◆ उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि बांग्लादेश के कपड़ा निर्यात का 10-11% तिरुप्पुर जैसे भारतीय केंद्रों की ओर स्थानांतरित कर दिया जाए, तो भारत को मासिक कारोबार में 300-400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है।

## झारखंड आदिवासी महोत्सव

### चर्चा में क्यों ?

विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में दो दिवसीय “झारखंड आदिवासी महोत्सव” का आयोजन राँची में किया गया, जिसमें आदिवासी संस्कृति, खान-पान और जीवनशैली पर प्रकाश डाला गया।

## मुख्य बिंदु

- विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी समूहों ने अपने पारंपरिक नृत्य और गीत प्रस्तुत किये।
- ◆ उन्होंने आदिवासी समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों और अन्य समकालीन मुद्दों पर भी चर्चा की।
- मुख्यमंत्री ने आदिवासी लोगों से एकजुट होकर आगे बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आदिवासी समुदायों को विस्थापन की पीड़ा सहनी पड़ी है।

## विश्व आदिवासी दिवस

- यह दिवस वर्ष 1982 में जिनेवा में स्वदेशी जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक को मान्यता देता है।
- संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार, यह दिवस वर्ष 1994 से हर वर्ष मनाया जाता है।
- आज तक, अनेक स्वदेशी लोग अत्यधिक गरीबी, हाशिये पर होने तथा अन्य मानवाधिकार उल्लंघनों का सामना कर रहे हैं।

## आदिवासी संपत्तियों पर सुरक्षा शिविर

### चर्चा में क्यों ?

सिटीजन की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2019 के बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड में अधिकांश सुरक्षा शिविर आदिवासियों की निजी या सामुदायिक संपत्तियों पर उनकी सहमति के बिना तथा मौजूदा कानूनों का गंभीर उल्लंघन करते हुए स्थापित किये गए हैं।

### मुख्य बिंदु

- छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासी समुदायों की सहमति के बिना स्थापित अर्द्धसैनिक शिविरों का प्रसार, जिनका उद्देश्य आदिवासियों के जीवन तथा संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर खनन कार्यों एवं कॉर्पोरेट हितों को सुविधाजनक बनाना है।
- ◆ शिविरों के विरुद्ध शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध को नज़रअंदाज़ किया गया है या लाठीचार्ज, स्थलों को जलाने और प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी जैसे क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करके दबा दिया गया है।
- इनमें से अधिकांश शिविर ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किये गए हैं, जो वर्तमान में संधारणीय खनन प्रबंधन योजना 2018 के अनुसार संरक्षण या खनन निषेध क्षेत्र में आते हैं।
- रिपोर्ट में कानून का सम्मान करने और मानव अधिकारों के उल्लंघन को समाप्त करने के लिये पंचायत ( अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार ) अधिनियम, 1996 तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन का आह्वान किया गया है।

### पंचायत ( अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार ) अधिनियम, 1996

- परिचय:
  - ◆ PESA अधिनियम 1996 में “पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिये” अधिनियमित किया गया था।
  - ◆ संविधान के भाग IX में अनुच्छेद 243-243ZT शामिल हैं, जिसमें नगर पालिकाओं और सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान हैं।
- प्रावधान:
  - ◆ अधिनियम के तहत, अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जो अनुच्छेद 244( 1 ) में संदर्भित हैं, जिसमें कहा गया है कि पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों पर लागू होंगे।
  - ◆ पाँचवीं अनुसूची में इन क्षेत्रों के लिये अनेक विशेष प्रावधान किये गये हैं।
  - ◆ दस राज्य- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना ने पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों को अधिसूचित किया है, जो इनमें से प्रत्येक राज्य के कई जिलों को ( आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से ) कवर करते हैं।

## वन अधिकार अधिनियम, 2006

- वन अधिकार अधिनियम ( FRA ), 2006 को वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को वन भूमि पर औपचारिक रूप से वन अधिकारों तथा कब्जे को मान्यता देने एवं प्रदान करने के लिये पेश किया गया था, जो इन वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, भले ही उनके अधिकारों को आधिकारिक तौर पर दस्तावेजित नहीं किया गया हो।
- इसका उद्देश्य औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक भारत की वन प्रबंधन नीतियों के कारण वन-निवासी समुदायों द्वारा झेले गए ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करना था, जो वनों के साथ उनके दीर्घकालिक सहजीवी संबंधों को स्वीकार करने में विफल रहे।
- इसके अतिरिक्त, अधिनियम का उद्देश्य वनवासियों को वन संसाधनों तक पहुँच और उनका स्थायी उपयोग करने, जैवविविधता तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देने एवं उन्हें गैरकानूनी बेदखली व विस्थापन से बचाने के लिये सशक्त बनाना था।

## रोगियों के प्रति भेदभाव समाप्त करने का अभियान

### चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के अनुसार, झारखंड में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ( Human Immunodeficiency Virus- HIV ) रोगियों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिये जागरूकता उत्पन्न करने हेतु 1 सितंबर, 2024 को एक अभियान शुरू किया जाएगा।

### मुख्य बिंदु:

- इसकी घोषणा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सभागार में गहन IEC ( सूचना, शिक्षा, संचार ) अभियान के शुभारंभ के दौरान की गई।
- झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक के अनुसार यह अभियान जिला, प्रखंड और गाँव स्तर पर चलाया जाएगा।
- ◆ अभियान के माध्यम से विशेषकर युवाओं को HIV और यौन संचारित रोगों के प्रति जागरूक किया जाएगा।

## ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ( Human Immunodeficiency Virus- HIV )

- परिचय:
  - ◆ HIV एक वायरस है जो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को क्षति पहुँचाता है।
  - ◆ यह मुख्य रूप से CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाओं को लक्षित करता है और उन्हें नुकसान पहुँचाता है, CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाएँ संक्रमण तथा बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता के लिये आवश्यक होती हैं।
    - HIV समय बीतने के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिससे शरीर विभिन्न प्रकार के संक्रमण और कैंसर की चपेट में आ जाता है।
- संचरण:
  - ◆ इसके संचरण के प्राथमिक स्रोत- रक्त, शुक्राणु, यौनिक तरल पदार्थ, स्तनपान आदि माने जाते हैं।
- गंभीरता:
  - ◆ यदि उपचार नहीं किया जाता है, तो वायरस किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है तथा उसे एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम ( AIDS ) चरण में कहा जाता है, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर होने के कारण कई अन्य संक्रमण घेर लेते हैं जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो सकती है।
- उपचार:
  - ◆ हालाँकि वर्तमान में संक्रमण का कोई इलाज नहीं है, लेकिन एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी ( ART ) का उपयोग करके वायरस को नियंत्रित किया जा सकता है।
    - ये दवाएँ शरीर के भीतर वायरस की प्रतिकृति बनाने की क्षमता को कम कर देती हैं, जिससे CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है।

## झारखंड में 'ढाका' लिखा हुआ घायल गिद्ध मिला

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में झारखंड के हज़ारीबाग ज़िले में एक बाँध में एक लुप्तप्राय सफेद पीठ वाला गिद्ध घायल अवस्था में पाया गया। गिद्ध के एक पैर में धातु की अँगूठी थी, जिस पर 'ढाका' शब्द लिखा हुआ था।

### मुख्य बिंदु

- पुलिस को संदेह है कि ढाका के पक्षी शोधकर्ता जॉन मालोट, जो ब्रिटेन स्थित रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स से जुड़े हैं, ने ढाका से झारखंड तक पक्षी की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिये गिद्ध को सौर ऊर्जा चालित रेडियो ट्रैकिंग कॉलर पहनाने के बाद उसे छोड़ दिया।

### सफेद पीठ वाला भारतीय गिद्ध

- वे मध्यम आकार के, गहरे रंग के गिद्ध हैं।
- वैज्ञानिक नाम: जिप्स बंगालेंसिस *Gyps bengalensis*
- वितरण: पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्याँमार (बर्मा), थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम।
- निवास स्थान: ज्यादातर मैदानी इलाकों में और कम बार पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। खेती के नज़दीक के गाँवों तथा शहरों में भी देखे जा सकते हैं।
- विशेषताएँ:
  - ◆ वयस्क 75 से 85 सेमी. लंबे होते हैं।
  - ◆ गर्दन पर सफेद रफ, दुम और पंखों के नीचे का आवरण।
  - ◆ वयस्कों का रंग काला होता है, जबकि युवा भूरे रंग के होते हैं।
  - ◆ उनके पंखों का फैलाव 180 से 210 सेमी. होता है।
  - ◆ वजन: 3.5 से 7.5 किलोग्राम तक होता है।
  - ◆ IUCN स्थिति: गंभीर रूप से लुप्तप्राय



## झारखंड के कार्मिकों को वीरता और सेवा पदक मिलेंगे

### चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के अनुसार, 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में झारखंड के 19 कर्मचारियों और अधिकारियों को उनकी अनुकरणीय सेवा एवं बहादुरी के लिये सम्मानित किया गया।

### मुख्य बिंदु:

- गढ़वा के पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police- SP) दीपक कुमार पांडेय को इनामी नक्सली को मार गिराने के लिये वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा।
- ◆ वीरता पदक पाने वाले अन्य लोगों में उप निरीक्षक विश्वजीत कुमार सिंह, हवलदार उमेश सिंह, कांस्टेबल सुभाष दास, कांस्टेबल गोपाल गंडू, कांस्टेबल रवींद्र टोप्पो और सहायक उप निरीक्षक (ASI) सच्चिदानंद सिंह शामिल हैं।



- झारखंड के 11 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक मिलेगा।
- ◆ पुरस्कार प्राप्त करने वालों में हेड कांस्टेबल सलोमी मिंज, कांस्टेबल विमल कुमार छेत्री, कांस्टेबल रणधीर कुमार सिंह, कांस्टेबल संजीव कुमार गुप्ता, कांस्टेबल हेमा रानी कुल्लू, हेड कांस्टेबल संजय उरांव, हेड कांस्टेबल अरुण उरांव, कांस्टेबल रेखा कुमारी, हेड कांस्टेबल ऋतुराज, हेड कांस्टेबल राजेंद्र राम और हेड कांस्टेबल संजय कुमार शामिल हैं।

### वीरता पुरस्कार

- सशस्त्र बलों, अन्य विधिपूर्वक गठित बलों और नागरिकों के अधिकारियों/कार्मिकों की बहादुरी तथा बलिदान के सम्मान के लिये भारत सरकार द्वारा वीरता पुरस्कारों की स्थापना की गई है।
- स्वतंत्रता के बाद, पहले तीन वीरता पुरस्कार अर्थात् **परमवीर चक्र**, **महावीर चक्र** और **वीर चक्र** भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी, 1950 को स्थापित किये गये थे तथा 15 अगस्त, 1947 से प्रभावी माने गये थे।
- ◆ इसके बाद, भारत सरकार द्वारा 4 जनवरी, 1952 को अन्य तीन वीरता पुरस्कार अर्थात् अशोक चक्र श्रेणी-I, अशोक चक्र श्रेणी-II और अशोक चक्र श्रेणी-III की स्थापना की गई, जो 15 अगस्त, 1947 से प्रभावी माने गए।
  - जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का नाम बदलकर क्रमशः **अशोक चक्र**, **कीर्ति चक्र** और **शौर्य चक्र** कर दिया गया।
- इन वीरता पुरस्कारों की घोषणा **वर्ष में दो बार** की जाती है, पहले **गणतंत्र दिवस** के अवसर पर और फिर **स्वतंत्रता दिवस** के अवसर पर।
- वीरता पुरस्कारों को **दो प्रकारों** में वर्गीकृत किया जाता है:
  - ◆ **युद्धकालीन वीरता पुरस्कार:**
    - ये पुरस्कार शत्रु के सामने बहादुरी के लिये दिये जाते हैं।
  - ◆ **शांतिकालीन वीरता पुरस्कार:**
    - ये पुरस्कार शत्रु के विरुद्ध बहादुरी के अलावा अन्य कार्यों के लिये भी दिये जाते हैं।
- इन पुरस्कारों का वरीयता क्रम इस प्रकार है: **परमवीर चक्र**, **अशोक चक्र**, **महावीर चक्र**, **कीर्ति चक्र**, **वीर चक्र** और **शौर्य चक्र**।

## झारखंड मुख्यमंत्री मंडियां सम्मान योजना ( JMMSY )

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मंडियां सम्मान योजना ( JMMSY ) लॉन्च की।

### प्रमुख बिंदु:

- इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की 21 से 50 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को 1,000 रुपए दिये जाएंगे।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना** के माध्यम से प्रति वर्ष सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में कुल 12,000 रुपए भेजे जाएंगे।
- राज्य सरकार ने सभी वर्गों और समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिये विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाएँ शुरू की हैं।
- राज्य सरकार ने 50,000 रुपए के बजाय 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है।
- **सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना** से सरकारी स्कूलों की बालिकाओं को लाभ मिल रहा है तथा शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिये मॉडल स्कूल चलाए जा रहे हैं।
- **मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना** के तहत लोगों को रियायती दरों पर ऋण जारी किया जा रहा है।

### मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना

- इसके तहत राज्य के 18 से 45 वर्ष की आयु के युवा नागरिकों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिये न्यूनतम दर पर 25 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही सरकार की ओर से 40% अनुदान ( सब्सिडी ) या 5 लाख रुपए प्रदान किये जाते हैं।
- **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और सखी मंडल से जुड़ी महिलाएँ** इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- सखी मंडल महिलाओं का एक समूह है जो अपने जीवन स्तर और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये एक साथ आती हैं।

## सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना

- यह योजना राज्य में बालिका शिक्षा, बाल विवाह को समाप्त करने और महिला सशक्तिकरण पर जोर देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार किशोरियों को अच्छी शिक्षा के लिये कुल 40,000 रुपए की सहायता दे रही है।

## झारखंड की पंचायतों टीबी मुक्त घोषित

### चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम ( National Tuberculosis Elimination Programme- NTEP ) के तहत झारखंड की कुल 38 पंचायतों को क्षय रोग ( टीबी ) मुक्त घोषित किया गया है।

### मुख्य बिंदु:

यह जानकारी झारखंड राज्य क्षय रोग प्रकोष्ठ और सामुदायिक स्वास्थ्य के लिये शिक्षा एवं वकालत संसाधन समूह ( Resource Group for Education and Advocacy for Community Health ) द्वारा घोषित की गई।

झारखंड में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम ( NTEP ) का लक्ष्य प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और वयस्क बीसीजी टीकाकरण कार्यक्रम सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से वर्ष 2025 तक क्षय रोग ( टीबी ) का उन्मूलन करना है।

### क्षय रोग

- परिचय
  - ◆ क्षय रोग ( टीबी ) एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है।
  - ◆ यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है।
  - ◆ यह एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है।
- संचरण
  - ◆ टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायु के माध्यम से संचरित होती है। जब फेफड़ों की टीबी से पीड़ित व्यक्ति खाँसता, छींकता अथवा थूकता है, तो वे टीबी के कीटाणुओं को वायु में संचरित कर देते हैं।
- लक्षण
  - ◆ सक्रिय फेफड़े के टीबी के सामान्य लक्षण हैं- खाँसी के साथ बलगम और कभी-कभी खून आना, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन कम होना, बुखार तथा रात में पसीना आना।
- टीका
  - ◆ बैसिल कैलमेट-गुएरिन ( Bacille Calmette-Guérin- BCG ) टीबी रोग के लिये एक टीका है।

### प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान

- परिचय:
  - ◆ यह वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन की दिशा में देश की प्रगति में तेजी लाने के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( Ministry of Health and Family Welfare- MoHFW ) की एक पहल है।
- उद्देश्य:
  - ◆ टीबी रोगियों के उपचार परिणामों को बेहतर बनाने के लिये अतिरिक्त रोगी सहायता प्रदान करना।
  - ◆ वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना।
  - ◆ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ( Corporate Social Responsibility- CSR ) गतिविधियों का लाभ उठाना।

## झारखंड मंत्रिमंडल ने बिजली बकाया बिल माफ किया

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में झारखंड सरकार ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से लाभान्वित होने वाले लगभग 39.44 लाख उपभोक्ताओं का 3,584 करोड़ रुपए का बिजली बकाया बिल माफ करने का निर्णय किया है।

### प्रमुख बिंदु

- इस निर्णय का उद्देश्य मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करना है
- राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य निर्णय इस प्रकार हैं:
  - ◆ ड्यूटी या सैन्य ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले झारखंड के अग्निवीर सैनिकों के परिवारों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी दी जाएगी।
    - अनुग्रह राशि वह धनराशि है, जो नैतिक दायित्व के कारण दी जाती है न कि कानूनी दायित्व के कारण।
  - ◆ आँगनवाड़ी पोषण सखियों और रसोइयों के पारिश्रमिक की अवधि 10 महीने से बढ़ाकर 12 महीने करना।
    - छह जिलों-धनबाद, दुमका, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा और गोड्डा में 10,388 पोषण सखियों की पुनर्नियुक्ति।

### अग्निपथ योजना

- "अग्निवीर" शब्द का अर्थ "अग्नि-योद्धा" है। यह एक नया सैन्य पद है।
- यह सैनिक, वायुसैनिक और नाविक जैसे अधिकारी पद से नीचे के सैन्य कर्मियों की भर्ती की एक योजना है, जो भारतीय सशस्त्र बलों में कमीशन प्राप्त अधिकारी नहीं हैं।
- उन्हें 4 वर्ष की अवधि के लिये भर्ती किया जाता है, जिसके बाद इन भर्तियों में से 25% तक (जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है), योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकताओं के अधीन, स्थायी कमीशन (अन्य 15 वर्ष तक) पर सेवाओं में शामिल हो सकते हैं।
- वर्तमान में चिकित्सा शाखा के तकनीकी संवर्ग को छोड़कर सभी नाविक, वायुसैनिक और सैनिक इस योजना के तहत सेवाओं में भर्ती किये जाते हैं।